

उनवान:- जनक बनाम सुगरसिंह वगै०  
दावा बाबत तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा  
फर्द अहकाम

दिनांक  
66  
23

वादी की ओर से श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट ने दावा बाबत तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम के जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के बाहर के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 20.07.2023 को पेश हो।

2238-46  
16/6/23

(गौरव कुमार मित्तल)  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
टोडाभीम जिला करौली

207  
23

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं० 1, 2, 4, 5, 7 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एड० ने उपस्थिति दर्ज कराई। एवं प्रतिवादी नं० 3, 6 के नोटिस तामील परिवारपनो से होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। बाबपूड सूचना कोई उपस्थित नहीं हुआ। उक्त के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अफस में लाई जाती है। एवं प्रतिवादी नं० 8, 9 के नोटिस तामील कार्रवाई द्वारा होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। चैरोन्कार सरकार उप०। वास्ते वकालतनामा पेश करने दिनांक 21.8.23 को पेश हो।

1, 2, 4, 5, 7  
की ओर से 16/6/23  
(2) 3-4-23

218  
23

पत्रावली पेश हुई। वकील उपपपझकारान उप०। प्रतिवादी नं० 1, 2, 4, 5, 7 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एड० ने वकालतनामा प्रप प्रार्थना पत्र 10 सी. पी. सी. पेश किया। जो शामिल फावली रहे। नकल वादी वकील को दिखाई गई। वास्ते जबाब दावा व जबाब प्रार्थना पत्र का पेश



म जिर

फर्द अहकाम

पत्रावली पेश हुई। वकील उन्नयपशकरान उप्र) सस्ते जबाब डावा व जबाब प्रार्थना पत्र का पेश करने दिनांक 6.6.24 को पेश हो

(5)

पत्रावली पेश हुई। वाडी ठर वाडी वकील कोही उपस्थित नहीं हुआ। वाट 2 भाषाज डिलडि गद्दी इसके उपखतर भी कोही उपस्थित नहीं हुआ इसलिये वाडी का ठर डावा वाडी की ठरम पेश की ठरम हाजिरी में बगारे जासिया (जाल के) पत्रावली फ़ैसलकुमार डौफर मन्कर से कम कर डारिख डफर हो

(6)